राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः–एफ 165( )लेब/पंरावि/कोषालय से भुगतान/2014–15 18000 जयपुर, दिनांकः– 27-09-2016

कार्यालय आदेश

बजट घोषणा वर्ष 2015–16 के बिन्दु संख्या 230 की क्रियान्विति के क्रम में पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों का वेतन भुगतान कोषालयों के माध्यम से आहरित किया जाना है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 5 (थ–75)डीटीए/आईएफएमएस/पीआरआई/7404–8003 दिनांक 14.09.2016 जारी किया गया है। जिसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिकों का वेतन भुगतान (माह अक्टूबर पेड नवम्बर–2016) से कोषालय के माध्यम से किया जाना है। उक्त परिपत्र के अनुसार मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त को कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। शासन सचिव वित्त (बजट) के अंशा. टीप. संख्या एफ5 (थ–75)डीटीए/आईएफएमएस/पीआरआई/7399–7400 दिनांक 14.09.2016 द्वारा जिला स्तर पर उक्त कार्य हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने एवं हैल्प डेस्क के गठन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अनुसरण में प्रत्येक जिला परिषद में लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को उक्त कार्य हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त कर एवं दो अनुभवी कार्मिकों की हैल्प डेस्क का गठन किया जाकर उसके नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस से मुख्यालय को अवगत करावें। नोडल अधिकारी पंचायती राज संस्थाओं में कार्मिकों का वेतन भुगतान कोषालय से आहरित किये जाने के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं एवं पंचायती राज मुख्यालय, निदेशक कोष एवं लेखा (आई.एफ.एम.एस) एवं एन.आई.सी के मध्य समन्वयक का कार्य करेंगे, एवं हैल्प डेस्क स्थानीय स्तर पर तकनीकी एवं अन्य समस्याओं का निराकरण करेंगी।

अतः अविलम्ब प्रत्येक जिला परिषद स्तर पर उक्त कार्य हेतु एक नोडल अधिकारी एवं हैल्प डेस्क का गठन कर उनके पूर्ण विवरण से मुख्यालय को सूचित करावें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राधेश्याम मीना)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांकः–एफ 165( )लेब/पंरावि/कोषालय से भुगतान/2014–15 जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. कार्यालयाध्यक्ष, पंचायती राज विभाग।
5. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को भेजकर लेख है कि आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
6. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, कोष एवं लेखा, ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
8. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

D:\D- drive\Yadav ji as on 10.02.2016\Letters.docx